न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलारा–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

निर्वाचन अपील संख्या –45/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
पूजा पत्नी श्री महेन्द्र सिंदल निवासी मकान नम्बर 46, शितला माता मंदिर के पास ग्राम मानासर तहसील व जिला नागौर		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट पूजा स्वंय उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 07-1-2020

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 21 राजस्थान पंचायत राज(निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत पेश की है, अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट को टिप्पणी एवं संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्रार्थीया श्रीमती पूजा बहस में कथन किया कि मैं ग्राम मानासर की मूल निवासी हूँ। मेरे परिवार के भाभाशाह कार्ड संख्या BAYIOF है, जिसमें मेरा नाम समिलित है। मेरे पति का नाम ग्राम पंचायत दुकोसी के वार्ड संख्या 9 में दर्ज है। मेरे आधार कार्ड संख्या 2341 7990 4061 है, जिसमें पूर्व में पता मेरे पिता के ग्राम का दर्ज है, आज (अर्थात दिनांक 3.1.2020) को मैने मेरे मूल निवास स्थान का पता दर्ज करवाने के लिए आधार केन्द्र से आवेदन कर दिया है। मेरे परिवार के राशन कार्ड संख्या 008298900112 है, जिसमें मेरा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर दिया है ओर पूर्व में मेरे पिता के साथ राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज था वहां से नाम कटवा दिया है। मेरे पिता के निवास स्थान के बी.एल.ओ. से लिखित में ले लिया है, वहां पर मेरा नाम पूर्व में ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। मेरा नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहता हूँ जिसके लिए प्रार्थना पत्र एवं एक पचास रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर(छाया प्रति है) पर शपथ पत्र नोटेरी शुदा पेश कर रही हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आदेश दिनांक 23.12.2019 के पत्र कमांक–6185 के अनुसार मेरा नाम ग्राम पंचायत दुकोसी में जुड़वाया जावे।

इस संबंध में दिनांक 24.12.2019 को उपखण्ड अधिकारी नागौर व बी.एल.ओ. मानासर ग्राम पंचायत दुकोसी को लिखित में मय दस्तावेज आवेदन पत्र सहित व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में मिलकर निवेदन किया था, दिनांक 225.12.2019 को अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के कार्यालय में लिखित मय दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ निवेदन किया था। प्रार्थीया ने दौराने बहस स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका विवाह वर्ष 2014 में महेन्द्र सिंदल जाति नायक निवासी मकान नम्बर 46 ग्राम मानासर तहसील व जिला नागौर के साथ हुआ, तथा विवाह उपरान्त लगातार वह अपने पति के साथ निवास कर रही है। ग्राम सेवक द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.2019 के अनुसार भी प्रार्थीया मानासर की निवासी है। जन आधार कार्ड संख्या 5068210018 के अनुसार भी प्रार्थीया महेन्द्र सिंदल की ही पत्नी है। मूल निवास प्रमाण पत्र 05.01.2020 के अनुसार भी प्रार्थीया श्री महेन्द्र सिंदल की पत्नी है एवं मानासर की निवासी है। ग्राम पंचायत दुकोसी वार्ड नम्बर 09, वार्ड पंच श्रीमति सीता द्वारा प्रार्थीया के निवास के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार भी प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंदल

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

जाति नायक निवासी मकान नम्बर 46 ग्राम मानासर तहसील व जिला नागौर की निवासी होने का कथन करते हुऐ प्रार्थीया ने अपना नाम ग्राम पंचायत दुकोसी की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का निवेदन किया है।

निर्वाचक रजि0पदाधिकारी (एसडीओ) नागौर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 07.01.2020 से अवगत कराया है कि प्रार्थीया ने ग्राम मानासर की मूल निवासी का पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज राशन कार्ड की प्रति में प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भामाशाह कार्ड संख्या BAYIOF है की प्रति अपठनीय है। प्रार्थीया ने आधार कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति में प्रार्थीया का पता सुखवासी अंकित है। इस प्रकार आधार कार्ड में आज दिनांक अर्थात 07.01.2020 को नाम जोडा जाना नहीं पाया गया है। परिवार के राशन कार्ड संख्या 008298900112 के संबंध में कोई सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यह सही है कि प्रार्थीया ने पिता कि निवास स्थान के बूथ लेवल अधिकारी से लिखित में ले लिया है कि नाम पूर्व में ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। यह सही है प्रार्थीया ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाही है। जिसके प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र व एक स्टाम्प पेपर शपथ पत्र नोटेरी शुदा पेश किया है। प्रार्थीया का नाम निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आवेदन के क्रम में जरिये नोटिस क्रमांक–निर्वा/पंआचु/2020/2203 दिनांक 03.01.2020 के द्वारा प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंदल की पत्नी है, इस संबंध में कोई विधिक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया जो आदिनांक तक अपेक्षित है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अभाव में अंतिम निर्णय लिया जाना संभव नहीं होना अवगत कराया है।

प्रार्थीयां की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका विवाह वर्ष 2014 में महेन्द्र सिंदल जाति नायक निवासी मकान नम्बर 46 ग्राम मानासर तहसील व जिला नागौर के साथ हुआ, तथा विवाह उपरान्त लगातार वह अपने पति के साथ निवास कर रही है। ग्राम सेवक द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.2019 के अनुसार भी प्रार्थीया मानासर की निवासी है। जन आधार कार्ड संख्या 5068210018 के अनुसार भी प्रार्थीया महेन्द्र सिंदल की ही पत्नी है। मूल निवास प्रमाण पत्र 05.01.2020 के अनुसार भी प्रार्थीया श्री महेन्द्र सिंदल की पत्नी है एवं मानासर की निवासी है। ग्राम पंचायत दुकोसी वार्ड नम्बर 09, वार्ड पंच श्रीमति सीता द्वारा प्रार्थीया के निवास के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार भी प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंदल जाति नायक निवासी मकान नम्बर 46 ग्राम मानासर तहसील व जिला नागौर की निवासी है। उपर्युक्तानुसार दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीया महेन्द्र सिंदल जाति नायक निवासी मकान नम्बर 46 ग्राम मानासर तहसील व जिला नागौर की पत्नी होना तथा मानासर की निवासी होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, परन्तु निर्वाचक रजि0पदाधिकारी (एसडीओ) नागौर को निर्देश दिये जाते है कि पंचायत समिति क्षैत्र नागौर के संबंध में चुनाव की लोक सूचना दिनांक 07.01.2020 को जारी हो चुकी है इसलिए राजस्थान पंचायतती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 21A मे दिये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुऐ प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत दुकोसी ग्राम मानासर की मतदाता सूची में नियमानुसार जोड़ने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति निर्वाचक रजि0पदाधिकारी (एसडीओ) नागौर पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 17:53:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: